



रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेंस नं० डब्लू पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एंटे कन्सन्शनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 1995

फाल्गुन 23, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 622/तद्वह-वि-1-1(क).6/1995

लखनऊ 14 मार्च, 1995

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल सहोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सुख साधन कर अधिनियम, 1995 पर दिनांक 14 मार्च, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1995 के रूप में सर्व साधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1995)

[“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 198 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित]

तम्बाकू पर सुख-साधन कर का उद्ग्रहण और संग्रह और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

लक्षित नाम और प्राप्ति

(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [उपधारा (1) के खण्ड (छ) और (ज) को छोड़कर], 10, 11 तथा 12, दिनांक 1 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) और (ज), दिनांक 28 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषा-

2-(1) इस अधिनियम में—

(क) "कर-निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट कर-निर्धारक अधिकारी से है ;

(ख) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट मुख-साधन कर आयुक्त से है ;

(ग) "मुख-साधन कर" या "कर" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत कर से है ;

(घ) "व्यवसाय का स्थान" में कोई कार्यालय या कोई अन्य स्थान सम्मिलित है जिसे तम्बाकू व्यवसायी तम्बाकू की आपूर्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करता है या जहाँ वह अपनी लेखा बहीयां रखता है ;

(ङ) "प्राप्त" का तात्पर्य,—

(एक) किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा बिक्री के रूप में की गयी तम्बाकू की आपूर्ति के सम्बन्ध में ऐसी बिक्री के लिये उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्य मूल्यवान् प्रतिफल या राशि, जिसमें इस प्रकार बिक्री की गयी तम्बाकू के सम्बन्ध में उसके देने के समय या उससे पूर्व उसके द्वारा किये गये किसी काम के कारण ली गयी कोई धनराशि और भाड़ा या माल देने का व्यय या मुख-साधन कर के रूप में वसूली गयी धनराशि, यदि ऐसा व्यय या धनराशि अलग से ली गयी है, से भिन्न कोई प्राथमिक या गौण पैकिंग का मूल्य, यदि अलग से लिया गया है, सम्मिलित है ; और

(दो) किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा बिक्री से अन्यथा रूप में तम्बाकू की आपूर्ति के सम्बन्ध में सामान्य मूल्य जिस पर तम्बाकू बँची जाती है, और पद "सामान्य मूल्य" का वही अर्थ होगा जो इसके लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 में दिया गया है ;

(च) "रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी से है ;

(छ) "तम्बाकू" का तात्पर्य आनीर्मत और निर्मित तम्बाकू से है जैसा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टॉरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में अध्याय 24 में टिप्पणी और सारणी में वर्णित है और इसमें तम्बाकू सहित या रहित पान मसाला (चाहे जिस नाम से पुकारा जाय) सम्मिलित है किन्तु ऐसी सिगरेट जिनके दस सिगरेटों के प्रत्येक पैकेट का मूल्य पाँच रुपये या उससे कम हो और बीडियां सम्मिलित नहीं हैं ;

(ज) "तम्बाकू व्यवसायी" का तात्पर्य,—

(एक) ऐसे विनिर्माता, जिसकी प्राप्तियों का विक्रय धन एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक होता है, से है जो बिक्री के रूप में या अन्यथा तम्बाकू की आपूर्ति करता है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये विनिर्माण किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है चाहे वह ठेके के काम के आधार पर हो या नहीं किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं, जो तम्बाकू का विनिर्माण उसमें कोई साम्प्रतिक अधिकार किसी भी प्रक्रम पर प्राप्त किये बिना केवल ठेके के काम के आधार पर करता है ;

(दो) ऐसे व्यक्ति से है जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये राज्य में तम्बाकू लाता है या मंगवाता है या जिसके लिये कोई तम्बाकू राज्य के बाहर किसी स्थान से प्रेषित की जाती है और जो बिक्री के रूप में या अन्यथा ऐसी तम्बाकू की आपूर्ति करता है ;

(तीन) ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को विक्री के रूप में या अन्यथा तम्बाकू की आपूर्ति करता है ;

(चार) ऐसे व्यक्ति से है जो किसी बाण्ड नाम से अनिर्मित तम्बाकू क्रय नहीं करता है या अन्यथा प्राप्त नहीं करता है किन्तु विक्री के रूप में या अन्यथा ऐसी अनिर्मित तम्बाकू की आपूर्ति मुहान्द डिब्बे में बाण्ड नाम से करता है ;

स्पष्टीकरण :—संदेहों के निवारण के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को तम्बाकू व्यवसायी नहीं समझा जायेगा,—

(1) जो एक कृषक के रूप में केवल ऐसा तम्बाकू, जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया गया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धकदार, किरायेदार या अन्यथा कोई हित हो, आपूर्ति करता है चाहे किसी मोहान्द डिब्बे में या नहीं और चाहे किसी बाण्ड नाम से या नहीं ; या

(2) जो केवल अनिर्मित तम्बाकू की आपूर्ति करता है चाहे किसी मोहान्द डिब्बे में या नहीं, किन्तु किसी बाण्ड नाम से नहीं ।

(फ) "प्राप्तियों का विक्रयधन" का तात्पर्य किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा विक्री के रूप में या अन्यथा की गयी तम्बाकू की आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी वर्ष के दौरान प्राप्तियों की संकलित धनराशि से है ;

(ट) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) में उनके लिए समनुदीशित हैं ।

3—प्रत्येक तम्बाकू व्यवसायी अपनी प्राप्तियों के विक्रयधन पर सुख-साधन कर पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, के संदाय करने का दायी होगा और विभिन्न श्रेणियों की तम्बाकू के लिये विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं ;

सुख-साधन कर
उद्ग्रहण

परन्तु कोई तम्बाकू व्यवसायी जो तम्बाकू का विनिर्माण नहीं करता या प्रदेश के बाहर से नहीं मंगाता है, अपनी प्राप्तियों के विक्रय धन पर कर का संदाय करने का उस दिन से दायी होगा जिस दिन उसकी प्राप्तियों का विक्रय धन दो लाख रुपये से अधिक हो जाय ;

परन्तु, यह और कि तम्बाकू की आपूर्ति की श्रृंखला में राज्य में सर्वप्रथम तम्बाकू व्यवसायी से कर वसूल किया जायेगा और आनुक्रमिक तम्बाकू व्यवसायी को, यदि वह ऐसी तम्बाकू पर कर का संदाय किये जाने का विहित रीति में प्रमाण देता है, कर का संदाय करने में छूट प्राप्त होगी ।

4—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी श्रेणी की तम्बाकू या ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा यह अधिरोधित करे, तम्बाकू व्यवसायियों की किसी श्रेणी को कर के उद्ग्रहण से छूट दे सकती है ।

कर से छूट

5—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश का व्यापार-कर कमिश्नर सुख-साधन कर आयुक्त होगा ।

इस अधिनियम के
अधीन प्राधिकारी

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 के अधीन "कर निर्धारक अधिकारी", "अपील सुनने वाला अधिकारी", "अधिकरण" और "पुनरीक्षण अधिकारी" इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये क्रमशः "कर निर्धारक अधिकारी", "अपील सुनने वाला अधिकारी", "अधिकरण" और "पुनरीक्षण अधिकारी" होंगे ।

(3) कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उचित निष्पादन का अधीक्षण और नियंत्रण आयुक्त में निहित होगा।

रजिस्ट्रीकरण

6—(1) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी प्रत्येक तम्बाकू व्यवसायी उस दिनांक से, जिस दिन वह पहली बार कर का संदाय करने का दायी हो जाय, एक माह के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे प्रपत्र और रीति में और एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाय, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, समाधान हो जाय कि आवेदन नियमानुकूल है, तो वह आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, जारी करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्वधीन उस समय तक प्रवृत्त रहेगा जब तक तम्बाकू व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य बना रहे।

(4) जहां कर निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, वह तम्बाकू व्यवसायी नहीं रह गया है या इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण किये जाने योग्य नहीं रह गया है या जहां वह किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना उचित समझे, तो इस धारा के अधीन तम्बाकू व्यवसायी को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र कर निर्धारक अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से एक लिखित आदेश द्वारा उसके लिये कारण देते हुए रद्द कर सकता है।

(5) यदि तम्बाकू व्यवसायी ने अपने व्यवसाय का नाम या स्थान बदल दिया है या कोई शाखा बन्द कर दी है या कोई नई शाखा खोली है या अन्य किसी पर्याप्त कारण से कर निर्धारण अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस धारा के अधीन दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संशोधित कर सकता है।

परन्तु स्वप्रेरणा से कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उपधारा (4) के अधीन रद्द या इस उपधारा के अधीन संशोधित नहीं किया जायगा जब तक कि तम्बाकू व्यवसायी को सूनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

परन्तु यह और कि किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा रद्दकरण के दिनांक तक की किसी अवधि के लिये देय कर (जिसमें कोई शांति या व्याज भी सम्मिलित है) का संदाय करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसे कर (जिसमें कोई शांति या व्याज भी सम्मिलित है) का निर्धारण रद्दकरण के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो।

(6) कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी नहीं है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से विक्री के रूप में या अन्यथा की गयी किसी तम्बाकू की आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से न तो कोई धनराशि सुख-साधन कर के रूप में और न तो सुख-साधन कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।

(7) कोई रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी उसके द्वारा या उसके माध्यम से विक्री के रूप में या अन्यथा की गयी किसी तम्बाकू की आपूर्ति के सम्बन्ध में, उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जिस उसके द्वारा तम्बाकू की आपूर्ति की गयी है, न तो कोई धनराशि सुख-साधन कर के रूप में और न तो सुख-साधन कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।

राजस्व व हित में प्रतिभूति

7—(1) जिस कर निर्धारक अधिकारी को धारा 6 के अधीन आवेदन दिया गया है, उसे यदि देय कर की समुचित वसूली के लिये ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अधिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये शर्त आरोपित कर सकता है, जिसमें तम्बाकू व्यवसायी से विहित रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस अधिनियम के किसी या समस्त प्रयोजनों के लिये ऐसी प्रतिभूति, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन देय कर की प्रामाण्यता के लिये ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो किसी समय, जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत हो, लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, उपयुक्त प्रयोजन के लिये उस तम्बाकू व्यवसायी से, जिसने प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और विहित रीति में, ऐसी प्रतिभूति या यदि तम्बाकू व्यवसायी ने इस उपधारा या उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई प्रतिभूति पहले ही दे दी है तो ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) कर निर्धारक अधिकारी किसी तम्बाकू व्यवसायी से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं करेगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति की धनराशि जिसका किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा उपयुक्त किन्हीं या दोनों उपधाराओं के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, तम्बाकू व्यवसायी की प्राप्तियों के विक्रयधन पर देय कर से किसी भी दृशा में अधिक न होगी।

(4) यदि किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रतिभूति प्रतिभूति-वन्ध-पत्र के रूप में हो, और किसी प्रतिभूति की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय तो तम्बाकू व्यवसायी उपयुक्त किसी घटना के होने के तीस दिनों के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारक अधिकारी को देगा और ऐसी घटना होने के नब्बे दिनों के भीतर वन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया वन्ध-पत्र देगा या विहित रूप में अन्य प्रतिभूति देगा।

(5) कर निर्धारक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा और पर्याप्त कारण से किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को तम्बाकू व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को वसूल करने के लिये समाप्त कर सकता है।

परन्तु तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति अपर्याप्त हो, तो वह इसकी पूर्ति ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, करेगा।

(7) यदि कोई तम्बाकू व्यवसायी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कर निर्धारक अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन अस्वीकृत कर सकता है या, यदि तम्बाकू व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है। रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत किये जाने, या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्द किये जाने पर यह समझा जायेगा कि तम्बाकू व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने में विफल रहा है।

8—यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के अपवचन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, जांच चौकियों और नाकों का स्थापित करने का निर्देश दे सकती है।

जांच चौकियाँ
और नाकों की
स्थापना और
पारगमन में
तम्बाकू की
जांच

परन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकियों और नाकों इस धारा के अधीन स्थापित जांच चौकियों और नाकों समझे जायेंगे और तम्बाकू के प्रदेश में आयात और तम्बाकू के प्रदेश में सड़क से पारगमन पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28-क और 28-ख के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवृत्त होंगे।

कतिपय मामलों में शास्तियां

9-(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी का समाधान हो जाय कि—

(क) कोई तम्बाकू व्यवसायी बिना युक्तियुक्त कारण के अनुमत समय के भीतर और विहित रीति में इस अधिनियम के अधीन देय कर के साथ अपनी प्राप्तियों के विक्रय धन की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा है; या

(ख) किसी तम्बाकू व्यवसायी ने इस अधिनियम के अधीन अपनी प्राप्तियों के विक्रय धन की मध्या विवरणी प्रस्तुत की है, या अपनी प्राप्तियों के विक्रय धन के विवरण को छिपाया है या ऐसी प्राप्तियों के विक्रय धन का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया है; या

(ग) कोई तम्बाकू व्यवसायी बिना युक्तियुक्त कारण के, अनुमत समय के भीतर अपने ऊपर निर्धारित कर का संदाय करने में विफल रहा है; या

(घ) कोई तम्बाकू व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन रीजिस्ट्रीकरण के लिये उत्तरदायी होने पर भी, रीजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना, विक्री के रूप में या अन्यथा, तम्बाकू की आपूर्ति कर रहा है या आपूर्ति करना जारी रखे है; या

(ङ) कोई तम्बाकू व्यवसायी सुख-साधन कर के रूप में कोई धनराशि वसूल करता है जबकि विधिवत् कोई सुख-साधन कर देय नहीं है या इस अधिनियम के अधीन विधिवत् देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि वसूल करता है; या

(च) कोई तम्बाकू व्यवसायी किसी बही, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण नहीं करने देता है या निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है; या

(छ) धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिए दूषित करता है; या

(ज) धारा 8 में यथा व्यवस्थित तम्बाकू के पारगमन के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है; या

(झ) कोई व्यवसायी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये, अन्यथा कार्य करता है;

तो वह, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे तम्बाकू व्यवसायी को उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि को संदाय करने का निर्देश दे सकता है, जो :—

(एक) खण्ड (क) या (ग) में निर्दिष्ट दशा में, देय कर की धनराशि के दस प्रतिशत से अल्पतरु किन्तु उसके पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक हो;

(दो) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, एतद्वारा परिवर्जित कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से अल्पतरु किन्तु उसके डेढ़ गुने से अनाधिक हो,

(तीन) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट दशा में, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये, जिसमें व्हातिक्रम जारी रहे, एक सौ रुपये हो;

(चार) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट दशा में, अविधित वसूल किये गये कर की धनराशि से अल्पतरु हो किन्तु उसके तीन गुने से अनाधिक हो;

(पांच) खण्ड (च) या (झ) में निर्दिष्ट दशा में पांच हजार रुपये से अनाधिक हो;

(छ) खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में निर्दिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त तम्बाकू के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनाधिक धनराशि।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति विहित रीति में और ऐसी शास्ति के अधिरोपित करने वाले आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर जमा की जायेगी।

10—इस अधीनयम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 के अधीन कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय को लागू करने के लिये सशक्त प्राधिकारी कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय, जिसमें इस अधीनयम के अधीन दये शास्ति सम्मिलित है, को लागू कर सकते हैं माना वह 1948 के उक्त एक्ट के अधीन दये कर या शास्ति थी और इस प्रयोजन के लिये वे 1948 के उक्त एक्ट और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उन्हें जो शक्तियां है, उन सभी का, या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और 1948 के उक्त एक्ट के उपबन्धों का जिसमें विवरण-पत्रों, कर संदाय और वसूली, अन्तरीरती तथा विघटित फर्म के कर के दायित्व कर, दायित्व का समाधान, अपील, पुनरीक्षण, मूल सुधार, पुनर्गीठत या नई फर्म पर कर निर्धारण और साभे का बदला जाना, तृतीय पक्ष से वसूली, जांच शक्तियों और नाकों, धनराशियों की वापसी, कतिपय सूचनायें जो गोपनीय हैं, राजस्व को कपट धींचत करने के लिये किये गये अन्तरण या अन्य होना, ध्याज प्रभारित करना और देना, हानि-रक्षा, कतिपय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में रोक, साक्षियों को बुलाने का अधिकार, लेखा रखना, लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार, माल अभिग्रहण करने का अधिकार, विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण और कम्पनियों द्वारा अपराध सम्मिलित है, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

कर; ध्याज और शास्ति इत्यादि के निर्धारण; पुनः निर्धारण, संग्रह और लागू करने के लिये कार्य प्रणाली तंत्र

11—(1) यदि इस अधीनयम के उपबन्धों का या इस अधीनयम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधीनयमिमत को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि यह अधीनयम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधीनयम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे माना इस अधीनयम में अधीनयमिमत किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी मृतलक्षी दिनांक से किन्तु जो इस अधीनयम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधीनयम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधीनयम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

12—राज्य सरकार इस अधीनयम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है।

13—(1) उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा प्रवेश से 30 नरस्त किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अध्यादेश, 1994 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गई अधिसूचनाएं इस अधीनयम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गयी अधिसूचनाएं समझी जायेंगी माना इस अधीनयम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

प्रासा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 622 (2)/XVII-V-1-1(KA) 6/1995

Dated Lucknow; March 14, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sukh Sadhan Kar Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 1995.

THE UTTAR PRADESH TAX ON LUXURIES ACT, 1995

(U. P. ACT NO. 11 OF 1995)

[As passed by the both Houses of the Uttar Pradesh Legislature under Article 198 of the Constitution of India]

AN

ACT

to provide for levy and collection of luxury tax on tobacco and under Article 198 of the Constitution of India]

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Luxuries Act, 1995.

(2) Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [except clauses (g) and (h) of sub-section (1)], 10, 11 and 12 shall be deemed to have come into force on June 1, 1994, clauses (g) and (h) of sub-section (1) of section 9 shall be deemed to have come into force on September 28, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Definitions

2. (1) In this Act—

(a) "assessing authority" means the assessing authority referred to in section 5 ;

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Luxury Tax referred to in Section 5 ;

(c) "luxury tax" or "tax" means the tax levied under Section 3 ;

(d) "place of business" includes an office or any other place which a tobacconist uses for the purpose of supplying tobacco or where he keeps his books of accounts ;

(e) "receipt" means—

(i) in respect of supply of tobacco by a tobacconist made by way of sale, the amount or valuable consideration received or receivable by him for such sale including any sum charged for anything done by him in respect of the tobacco so sold at the time of or before the delivery thereof and the price if charged separately, of any primary or secondary packing, other than the cost of freight or delivery or the amount realised as luxury tax when such cost or amount is separately charged ; and

(ii) in respect of supply of tobacco by a tobacconist made otherwise than by way of sale, the normal price at which the tobacco is sold, and the term "normal price" shall have the same meaning as assigned to it in Section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 ;

Uttar Pradesh Act

(f) "registered tobacconist" means a tobacconist registered under Section 6 ;

(g) "tobacco" means unmanufactured and manufactured tobacco as described in the Notes and in the table in Chapter 24 in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 and includes Pan Masala (by whatever name called) with or without tobacco but does not include cigarettes priced at rupees five or less per packet of ten and biris ;

(h) "tobacconist" means—

(i) a manufacturer whose turnover of receipts in a year exceeds one lakh rupees who supplies tobacco by way of sale or otherwise and includes any person who for the purpose of business gets the manufacturing done from any other person, whether or not on job work basis, but does not include any person who manufactures tobacco only on job work basis without obtaining any proprietary right over it at any stage ;

(ii) any person who for the purposes of business brings or causes to be brought tobacco in the State or to whom any tobacco is despatched from any place outside the State and who supplies such tobacco by way of sale or otherwise ;

(iii) any person who supplies tobacco from a place within the State to any place outside the State by way of sale or otherwise ;

(iv) any person who does not buy or otherwise obtain unmanufactured tobacco under a brand name but supplies by way of sale or otherwise such unmanufactured tobacco in a sealed container under a brand name.

Explanation—For the removal of doubts, it is clarified that a person,—

(1) who as an agriculturist exclusively supplies tobacco grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as an owner, usufructuary mortgagee, tenant or otherwise whether or not in a sealed container and whether or not under a brand name ; or

(2) who exclusively supplies unmanufactured tobacco whether or not in a sealed container but not under a brand name ;

shall not be deemed to be a tobacconist for the purposes of this clause ;

(i) "turnover of receipts" means the aggregate of the amounts of receipts of a tobacconist during a year in respect of the supply of tobacco by way of sale or otherwise ;

(j) "year" means the financial year.

(2) Words and expressions used in this Act, but not defined shall have meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U. P. Act no. 15 of 1948).

Levy of luxury tax

3. (1) Every tobacconist shall be liable to pay luxury tax on his turnover of receipts at such rate, not exceeding twenty-five per cent, as the State Government may, by notification, specify and different rates may be specified for different classes of tobacco :

Provided that a tobacconist who does not manufacture or receive tobacco from outside the State shall be liable to pay tax on his turnover of receipts from the date his turnover of receipts exceeds two lakhs rupees :

Provided further that in a chain of supply of tobacco, the tax shall be realised from the earliest of the tobacconists in the State and a successive tobacconist shall be exempted from payment of tax if he furnishes, in the manner prescribed, proof of payment of tax on such tobacco.

Exemption from tax

4. Notwithstanding anything in this Act, the State Government may, by notification, exempt any class of tobacco, or subject to such conditions and restrictions as it may impose, exempt from levy of tax any class of tobacconists.

Authorities under this Act.

5. (1) For carrying out the purposes of this Act, the Commissioner of Trade Tax of Uttar Pradesh shall be the Commissioner of Luxury Tax.

(2) The "assessing authority", the "appellate authority", and the "Tribunal" and the "revising authority" under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U. P. Act no. 15 of 1948) shall respectively be the "assessing authority", the "appellate authority", the "Tribunal" and the "revising authority" for the purposes of this Act.

(3) The superintendence and control for the proper execution of the provisions of this Act and the rules made thereunder relating to the levy and collection of the tax shall vest in the Commissioner.

Registration

6. (1) Every tobacconist liable to pay tax under this Act shall, within one month from the date on which he first becomes liable to pay tax, apply for registration to the assessing authority in such form and manner alongwith such fees, not exceeding one thousand rupees, as may be prescribed.

(2) If the assessing authority, after making such enquiry as he deems fit, is satisfied that the application is in order, it shall register the applicant and issue to him a certificate of registration in such form as may be prescribed.

(3) The registration shall, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, remain in force for so long as the tobacconist continues to be subject to registration under this Act.

(4) A certificate of registration granted to a tobacconist under this section may be cancelled by the assessing authority by an order in writing giving reasons therefor either on the application of the tobacconist or on its own motion, where such assessing authority is satisfied that the person to whom it was granted has ceased to be a tobacconist or has ceased to be subject to registration under this Act or where for any other sufficient reason such assessing authority considers it proper so to do.

(5) The assessing authority may amend a registration certificate granted under this section either on the application of the tobacconist, or on its own motion, when the tobacconist has changed the name or place of his business or closed down any branch or opened a new branch, or for any other sufficient reason :

Provided that a certificate of registration shall not be cancelled by the assessing authority under sub-section (4) or amended under the sub-section (5), on its own motion unless the tobacconist is given a reasonable opportunity of being heard :

Provided further that the cancellation of a certificate of registration shall not affect the liability of such tobacconist to pay the tax (including any penalty or interest) due for any period up to the date of cancellation whether such tax (including any penalty or interest) is assessed before or after the cancellation.

(6) No person who is not a registered tobacconist shall, in respect of supply of tobacco made by or through him by way of sale or otherwise, realise from any person any amount by way of luxury tax, or any amount in lieu of luxury tax by giving it a different name or colour.

(7) No registered tobacconist shall, in respect of any supply of tobacco made by or through him by way of sale or otherwise, realise from any person, other than a person to whom tobacco is supplied by him, any amount by way of luxury tax or any amount in lieu of luxury tax by giving it a different name or colour.

7. (1) Where it appears to the assessing authority to whom an application is made under Section 6 to be necessary so to do for the proper realisation of the tax payable, it may, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, impose as a condition for the issue of a certificate of registration, a requirement that the tobacconist shall furnish in the prescribed manner and within such time as may be specified in the order such security as may be so specified for all or any of the purposes of this Act.

Security in the interest of revenue

(2) Where it appears to the assessing authority to be necessary so to do for the proper realisation of tax payable under this Act, it may, at any time while such certificate is in force, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, require the tobacconist, to whom the certificate has been granted, to furnish within such time as may be specified in the order and in the prescribed manner such security as, if the tobacconist has already furnished any security in pursuance of an order under this sub-section or sub-section (1), such additional security, as may be specified in the order, for the aforesaid purpose.

(3) No tobacconist shall be required to furnish any security under sub-section (1) or under sub-section (2) by the assessing authority unless he has been given a reasonable opportunity of being heard and the amount of security that may be required to be furnished by any tobacconist under either of, or both, the aforesaid sub-sections shall in no case exceed the tax payable, in accordance with the estimate of the assessing authority, on the turnover of receipts of the tobacconist for the year in which such security is required to be furnished.

(4) Where the security furnished by a tobacconist under sub-section (1) or sub-section (2) is in the form of a bond and any

surety dies or becomes insolvent the tobacconist shall, within thirty days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the assessing authority granting the certificate of registration and shall within ninety days of such occurrence furnish a fresh surety bond or furnish in the prescribed manner other security for the amount of the bond.

(5) The assessing authority may, by order in writing and for sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security furnished by a tobacconist for realising any amount payable by the tobacconist under this Act :

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the tobacconist a reasonable opportunity of being heard.

(6) Where by reason of an order under sub-section (5) the security furnished by any tobacconist is rendered insufficient he shall make up the deficiency in such manner and within such time, as may be directed by the assessing authority.

(7) If a tobacconist fails to comply with an order under sub-section (1) or sub-section (2) or with the provisions of sub-section (4) or sub-section (6), the assessing authority may, after affording the tobacconist a reasonable opportunity of being heard, reject the application for registration or if the tobacconist is already registered under this Act, cancel his registration certificate. In the event of rejection of application for registration, or cancellation of the certificate of registration, the tobacconist shall be deemed to have failed to apply for registration.

Establishment of barriers or check-posts and inspection of tobacco in transit

8. The State Government, if it is of the opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax or other dues payable under this Act, it may, by notification, direct the establishment of check posts or barriers at such places within the State as may be specified in the notification :

Provided that the check posts and barriers established under Section 28 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall be deemed to be the check posts and barriers established under this section and for import of tobacco into the State and for transit of tobacco by road through the State, the provisions of Sections 28-A and 28-B of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall *mutatis mutandis* apply for the purposes of this Act.

Penalties in certain cases.

9. (1) If the assessing authority is satisfied that any tobacconist,—

(a) has, without reasonable cause, failed to furnish the return of his turnover of receipts alongwith the tax due under this Act within the time allowed and in the manner prescribed; or

(b) has submitted a false return of turnover of receipts under this Act or has concealed the particulars of his turnover of receipts or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover of receipts; or

(c) has, without reasonable cause, failed to pay, within the time allowed, the tax assessed on him; or

(d) being liable for registration under this Act, supplies or continues to supply tobacco by way of sale or otherwise without obtaining registration certificate; or

(e) realises any amount as luxury tax where no luxury tax is legally payable or in excess of the amount of tax legally payable under this Act ; or

(f) refuses to permit or refuses or neglects to produce for inspection any book, accounts, register or document ; or

(g) imports or transports or attempts to import or transport or abets the import or transport of tobacco in contravention of the provisions of Section 8; or

(h) fails to obtain authorisation for transit of tobacco or deliver the same in contravention of the provisions of Section 8; or

(i) otherwise acts in contravention of the provision of this Act or the rules made thereunder;

It may, after such enquiry, as it may deem necessary, direct such tobacco-
 conist to pay, by way of penalty, in addition to tax, if any, payable by
 him,—

(i) in a case referred to in clause (a) or (c), a sum not less than ten percent but not more than twenty five percent of the tax due;

(ii) in a case referred to in clause (b), a sum not less than fifty percent but not more than one and a half times of the amount of tax which would thereby have been avoided;

(iii) in a case referred to in clause (d), a sum of rupees one hundred for each month or part thereof during which the default continues;

(iv) in a case referred to in clause (e), a sum not less than the amount of tax illegally realised but not more than three times of that amount ;

(v) in a case referred to in clause (f) or (i), a sum not exceeding five thousand rupees ;

(vi) in a case referred to in clause (g) or (h), a sum not exceeding forty percent of the value of tobacco.

(2) No order under sub-section (1) shall be made, unless the tobacco-
 conist has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) The penalty imposed under this section shall be deposited in the manner prescribed and within thirty days of the service of the order imposing such penalty.

10. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall assess, re-assess, collect and enforce payment of tax including penalty payable under this Act as if it was a tax or penalty payable under the said Act of 1948 and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the said Act of 1948 and the rules made thereunder and the provisions of the said Act of 1948 including the provisions relating to returns, payment and recovery of tax, liability to tax of dissolved firm and transferee, composition of tax liability, appeal, revision, rectification, assessment of reconstituted or new firm and change of partnership, recovery

Machinery to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, interest and penalty

from third party, checkpost and barriers, refunds certain information to be confidential, making transfer to defraud revenue void, charging and giving interests, indemnity and bar to certain proceedings power to summon witnesses, maintenance of accounts, power to order production of accounts and power of entry and inspection, power to seize goods, determination of disputed questions and offences by companies shall *mutatis mutandis*, apply.

Power to remove difficulties.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reasons of anything contained in this Act to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires by a notified order, direct that this Act shall have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

(4) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to make rules

12. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and saving

13. (1) The Uttar Pradesh Tax on Luxuries (Second) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or rules made or notification issued under the Ordinance referred to in sub-section (1) or under the Uttar Pradesh Tax on Luxuries Ordinance, 1994 shall be deemed to have been done, taken, made or issued under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
(N. K. NARANG)
Pramukh Sachiv

U.P. O
Finance
22 of 1995